रजिस्ट्रार,

दिशा–निर्देश

उत्तर प्रदेश के समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 डेन्टल कौंसिल, लखनऊ की वेबसाइट www.updentalcouncil.org पर ऑनलाइन भरा गया डाटा, दस्तावेज, अभ्यर्थी की फोटो व हस्ताक्षर को भली–भांति अभ्यर्थी पूरी तरह जॉच कर ही भरें। अभ्यर्थी अपना फोटो व हस्ताक्षर प्रधानाचार्य/डीन द्वारा प्रमाणित कराकर ही अपलोड करें। अभ्यर्थी अपना नाम, माता–पिता का नाम व जन्मतिथि हाईस्कूल के सर्टिफिकेट के आधार पर ही भरें एवं सभी दस्तावेज मूल कॉपी (Original) से कलर स्पष्ट स्कैन करके ही उ0प्र0 डेन्टल कौंसिल, लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोड करें। अभ्यर्थी के पास उ0प्र0 डेन्टल कौंसिल, लखनऊ में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र अथवा कोई एक एड्रेस प्रूफ होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपना पता–आधार कार्ड, वोटर आई0डी0, निवास प्रमाण पत्र (कम्प्यूटर द्वारा जारी), पासपोर्ट, में लिखित डाटा के आधार पर ही भरें। अभ्यर्थी द्वारा भरे गये समस्त डाटा में कोई भी त्रुटि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन केवल इन्टर्नशिप करने के लिए मान्य होगा, यदि कोई अभ्यर्थी बिना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के इन्टर्नशिप कर लेता है तो उ0प्र0 डेन्टल कौंसिल, लखनऊ में उसका परमानेन्ट रजिस्ट्रेशन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन शुल्क जमा करने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी का शुल्क कट जाता है एवं ऑनलाइन शुल्क जमा प्रदर्शित नहीं होता है तो अभ्यर्थी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश डेन्टल कौंसिल में सम्पर्क करने के उपरान्त ही पुनः ऑनलाइन शुल्क जमा करेगा, यदि अभ्यर्थी शुल्क एक से अधिक बार जमा कर देता है तो किसी भी दशा में शुल्क वापस करने का कोई प्राविधान नहीं है।

सभी ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा का कलर प्रिंट निकाल कर एक माह के अन्दर उ0प्र0 डेन्टल कौंसिल, लखनऊ में अभ्यर्थी को अपने सभी मूल दस्तावेज (पंजीकरण से संबंधित) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।

नोट– अभ्यर्थी फीस एवं रजिस्ट्रेशन संबंधित दस्तावेज हेतु उ0प्र0 डेन्टल कौंसिल, लखनऊ की वेबसाइट www.updentalcouncil.org का अवलोकन करें।

Asgle
27/12/19